।। महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।।

:: दिनांक 08.12.2022 को सम्पन्न हुई बंदी खुला शिविर समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण ::

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के अंतर्गत गठित खुला बंदी शिविर समिति की बैठक **दिनांक 08.12.2022 को** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुये :-

1. श्री यू.एल. छानवाल, कार्यवाहक-अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
2. डॉ. सौम्या झा संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग, राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
3. श्री विक्रम सिंह, महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर। — सदस्य
4. श्री रोहित जैन, सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर। — सदस्य

निम्न 04 बंदियों के खुला बंदी शिविर प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये गये :-

बंदी का नाम मय पिता	निरूद्ध कारागृह	याचिका संख्या	निर्णय दिनांक	प्राप्ति दिनांक
उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा	के.का. उदयपुर	386/2022	10.11.2022	28.11.2022
शम्भुलाल पुत्र नाथू	के.का. उदयपुर	388/2022	10.11.2022	28.11.2022
गौतम लाल पुत्र शंकर	के.का. उदयपुर	394/2022	14.11.2022	29.11.2022
जीतु उर्फ जितेन्द्र पुत्र मुंशीराम	के.का. भरतपुर	289/2022	18.11.2022	06.12.2022

अस्वीकृत प्रकरण का विवरण :-

1. उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 08 वर्ष 02 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के विरूद्व माननीय ए.डी.जे. संख्या-4, उदयपुर के प्रकरण संख्या 79/2014 अंतर्गत धारा 307, 325, 149 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **उदयलाल उर्फ उदा पुत्र रामा** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

2. शम्भुलाल पुत्र नाथु, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 08 वर्ष 01 माह 17 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के विरूद्व माननीय ए.डी.जे. संख्या-4, उदयपुर के प्रकरण संख्या 79/2014 अंतर्गत धारा 307, 325, 149 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **शम्भुलाल पुत्र नाथु** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

---

3. गौतमलाल पुत्र शंकर, के.का. उदयपुर

बंदी द्वारा दिनांक 31.12.2021 तक 08 वर्ष 01 माह 13 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

बंदी के विरूद्व माननीय ए.डी.जे. संख्या-4, उदयपुर के प्रकरण संख्या 79/2014 अंतर्गत धारा 307, 325, 149 आई.पी.सी. (जमानत पर) विचाराधीन है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 की उद्देशिका में अंकित है कि-चूंकि राजस्थान के सिद्धदोषों में अच्छे आचरण, कार्य के संतोषजनक निष्पादन, एवं स्व-अनुशासन जीवन को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से **खुली हवा शिविरों में सिद्धदोषों को भेजने** के लिए नियम बनाना, तथा इन सिद्धदोषों को पूर्व-रिहाई प्रदाय करने के लिये, सामाजिक समायोजन एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सिखाने के अवसर प्रदान करने के लिये, नियम बनाये जाना आवश्यक है।

राजस्थान कैदी खुला शिविर नियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत **केवल दण्डित बंदियों को खुला बंदी शिविर में भेजे जाने का प्रावधान है** जबकि बंदी अन्य 01 प्रकरण में (जिसमे वह जमानत पर है) विचाराधीन है।

अतः उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **गौतम लाल पुत्र शंकर** को खुला बंदी शिविर में नहीं भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।

4. जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र मुंशीराम, के.का. भरतपुर

बंदी द्वारा दिनांक 09.11.2022 तक 04 वर्ष 02 माह 16 दिवस की सजा मय परिहार के भुगती है।

दिनांक 18.05.2022 को आयोजित खुला बन्दी शिविर समिति की बैठक में दिनांक 31.12.2021 तक 06 वर्ष 03 माह 11 दिवस तक की सजा भुगतने वाले बन्दियों को खुला बन्दी शिविर में भिजवाया गया है। बन्दी खुला बन्दी शिविर हेतु पात्र है, किन्तु बन्दी सजा उपभोग की वरिष्ठता में अन्य बन्दियों से कनिष्ठ है। जब भी बन्दी वरिष्ठतानुसार खुला

बन्दी शिविर में भेजने हेतु योग्य होगा, तब बन्दी के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा।

अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से बंदी **जीतेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र मुंशीराम** को वरिष्ठतानुसार योग्य होने पर खुला बंदी शिविर में भिजवाये जाने हेतु विचार करने का निर्णय लिया गया।

सदस्य सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।	**सदस्य सचिव** महानिरीक्षक कारागार राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग, राजस्थान, जयपुर।	**सदस्य** कार्यवाहक अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान जयपुर।	**अध्यक्ष** महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार राजस्थान जयपुर।